



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

“जहाज भवन” / “JAHAZ BHAVAN”

वालचंद हीराचंद मार्ग / W.H. MARG

मुंबई / MUMBAI - 400 001

Tele: 91-22-22613651-54

Fax: 91-22-22613655

E-mail: dgship@dgshipping.com

Web: www.dgshipping.com

टेलीफोन: 91-22-22613651-54

फैक्स: 91-22-22613655

ई-मेल: dgship@dgshipping.com

वेब: www.dgshipping.com

संख्या - एस डी / चार्टर/82/97 - खंड- V

दिनांक -17.03.2011

21 MAR 2011

वर्ष 2011 का नौवहन विकास परिपत्र संख्या - 1

वर्ष 2006 के नौवहन विकास परिपत्र संख्या 3 के परिच्छेद संख्या 2 (बी) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें यह लिखा है कि संविदा द्वारा कार्य पूरा किये जाने के लिए किसी परियोजना हेतु सभी चार्टरकर्ताओं या प्रिंसीपल द्वारा वैश्विक निविदा को अपनाया जाएगा या फिर एक्सप्रेसन ऑफ इन्टरेस्ट आमंत्रित किए जाने के लिए विज्ञापन करना होगा, इसी के साथ-साथ समाचार पत्र में प्रकाशित या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में एक प्रति इन्डियन नेशनल शिप ऑनर्स एसोसिएशन (इनसा) को भी जाएगी। आवेदनों की छंटाई करते समय सक्षम प्राधिकारी की जानकारी में यह बात आई है कि चार्टरकर्ताओं / प्रिंसीपलों / आवेदकों द्वारा यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इस संबंध में इस बात पर फिर से जोर दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रक्रिया को अपनाया जाना आपेक्षित है।

- उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, सभी चार्टरकर्ताओं / प्रिंसीपलों / आवेदकों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में उपर्युक्त प्रक्रिया/अपेक्षाओं का पालन करें ऐसा न करने पर वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत जो भी कार्रवाई उचित समझी जाएगी वह किसी और सूचना के दिए जाएगी।
- इसे नौवहन महानिदेशक और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सेवा में,
सभी चार्टरकर्ता / प्रिंसीपल / आवेदक
इनसा



श्री. राजेन्द्रन
(वी. राजेन्द्रन)
उप नौवहन महानिदेशक

छाया प्रति :
नौवहन के वरिष्ठ निजी सचिव